उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-123/2017/1717/71-1-2017-जी-195/2010

लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 (श्रीमती) बीना अरोड़ा, परामर्शदाता (विशेषज्ञ एनेस्थेस्टिक), यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कानपुर के एनेस्थीसिया विभाग में रिक्त प्रवक्ता के पद को डा0 अरोड़ा की उक्त सेवा स्थानान्तरण के दौरान परिकल्पित रूप से आचार्य के रूप में उच्चीकृत करते हुए उसके सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप संख्या-1722/71-1-11-जी-195/2010, दिनॉक 20-1-12 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए तैनात किया गया था। उक्त सेवा स्थानान्तरण अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। अन्तिम बार डा0 बीना अरोड़ा की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या -1051/71-1-16-जी-195/2010, दिनॉक 26-12-16 द्वारा दिनॉक 02-02-17 के पश्चात् दिनॉक 30-6-17 तक अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ायी गयी थी।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2017/1198, दिनॉक 22-06-2017 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज, कानपुर के एनेस्थीसिया विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत डा0 (श्रीमती) बीना अरोड़ा की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 01.07.2017 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

शमीम अहमद खान

विशेष सचिव।

संख्या:-123/2017/1717(1)/71-1-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक डिकल कालेज, कानपुर।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर।
7- कोषाधिकारी, कानपुर।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in